मध्यप्रदेश शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक : 19 जुलाई, 2018

क्रमांक एफ-3-18(5-2)/2018/29-2(1)- भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, के आदेश क्रमांक F.No. 23/Madhya Pradesh/2012-Comp.Cell, दिनांक 25.03.2013 से राज्य को "End-to-End Computerization of TPDS Operations" की Plan Scheme (E2E) के क्रियान्वयन के तहत रू. 57,80,38,500/- (सत्तावन करोड़ अस्सी लाख अड़तीस लाख पॉंच सौ मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें Project Management Unit (PMU) के गठन का प्रावधान किया गया है।

2. राज्य में E2E परियोजना की प्रगति के अनुश्रवण, समीक्षा एवं सक्षम स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अपैक्स कमेटी की बैठक दिनांक 25.01.2018 में PMU की संरचना का अनुमोदन किया गया हैं।

3. उपरोक्त निर्णयों के अनुक्रम में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के चार (04) मुख्य Software Application यथा e-uparjan, Civil Supplies Movement System (CSMS), Warehouse Management System (WMS) एवं Fair Price Shop Automation (FPS Automation) के समन्वय, संपूर्ण Supply Chain को अनुसूची-1 में दिये गये सामान्य बिन्दुओं के अधीन एक दूसरे से एकीकृत करने के उद्देश्य से संचालक/आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की निगरानी एवं नियंत्रण में, राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (PMU) का गठन करता है:-

क्रमांक	पदनाम	विवरण	टिप्पणी
		प्रबंधकीय इकाई	
1	प्रबंधक	संयुक्त संचालक	संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा नामांकित
2	उप प्रबंधक - 1	महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक (IT)	प्रबंध संचालक, म0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम (MPSCSC) द्वारा नामांकित
3	उप प्रबंधक - 2	महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक (IT)	प्रबंध संचालक, म0प्र0 वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन लिमिटेड (MPWLC) द्वारा नामांकित
4	सहायक प्रबंधक	सहायक / कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा नामांकित
5	टीम लीडर	Consultant	सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस डेवलपमेंट यूनिट (SSDU) टीम से कार्य कराने हेतु-आऊटसोर्सिंग द्वारा नियोजित
6	डाटा एंट्री ऑपरेटर	--	आऊटसोर्सिंग द्वारा नियोजित
		तकनीकी इकाई	
7	तकनीकी विशेषज्ञ – 1	Application Development Expert	राज्य सूचना अधिकारी (SIO), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा नामांकित
8	तकनीकी विशेषज्ञ – 2	Hardware/Network Expert	प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (MPSeDC) द्वारा नामांकित
9	तकनीकी विशेषज्ञ – 3	Database Expert	राज्य सूचना अधिकारी (SIO), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा नामांकित

क्रमांक	पदनाम	विवरण	टिप्पणी
10	तकनीकी विशेषज्ञ – 4	GIS Expert	महानिदेशक, म. प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (MPCoST) द्वारा नामांकित GIS तकनीकी विशेषज्ञ
11	तकनीकी विशेषज्ञ – 5	Business Intelligence Expert	राज्य सूचना अधिकारी (SIO), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा नामांकित
12	सिस्टम-बिजनेस एनालिस्ट -1	Consultant	मध्य प्रदेश एजेंसी प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MAP_IT) की प्रोजेक्ट ई-गवर्नेंस मिशन टीम (PeMT) के सलाहकार
13	सिस्टम-बिजनेस एनालिस्ट -2	Consultant	
14	सिस्टम-बिजनेस एनालिस्ट -3	Consultant	
15	तकनीकी सलाहकार– I	Application Development Consultant	Application Technology and Architecture से संबंधित कार्य कराने हेतु - आऊटसोर्सिंग द्वारा नियोजित
16	तकनीकी सलाहकार – 2	Database Consultant	डेटाबेस कार्य कराने हेतु - आऊटसोर्सिंग द्वारा नियोजित
17	तकनीकी सलाहकार – 3	Business Intelligence Consultant	आऊटसोर्सिंग द्वारा नियोजित
18	तकनीकी सलाहकार – 4	IT Consultant	संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा नामांकित
19	तकनीकी सलाहकार – 5	Data & Monitoring Consultant	संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा नामांकित
20	तकनीकी सलाहकार – 6	Documentation Consultant	आऊटसोर्सिंग द्वारा नियोजित
विभागीय विषयवस्तु इकाई			
21	विभागीय विषयवस्तु विशेषज्ञ –I	e-uparjan, FPS Automation	संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा नामांकित
22	विभागीय विषयवस्तु विशेषज्ञ –2	e-uparjan, CSMS	प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा नामांकित
23	विभागीय विषयवस्तु विशेषज्ञ –3	e-uparjan, WMS	प्रबंध संचालक, म0प्र0 वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन लिमिटेड (MPWLC) द्वारा नामांकित
24	विभागीय विषयवस्तु विशेषज्ञ -4	वित्तीय एवं लेखा	प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा नामांकित

4. PMU में आऊटसोर्सिंग द्वारा नियोजन से मानव संसाधन की पूर्ति की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 31.05.2018 के अनुक्रम में NICSI के माध्यम से प्रदान की जाएगी। मानव संसाधन की प्रतिपूर्ति के लिए स्थापना समिति उत्तरदायी होगी।
5. आऊटसोर्सिंग पर नियोजित अमले पर होने वाले व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति E2E परियोजना के PMU घटक में स्वीकृत राशि से की जाएगी। E2E परियोजना की समयावधि मार्च, 2019 तक होने से PMU के लिए आवश्यक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य शासन की योजना क्रमांक 6627- "खाद्यान्न उपार्जन की कंप्यूटराइजेशन परियोजना" से तथा ऐसे मानव संसाधन जिनका लाभ सीधे दोनों निगमों की कार्यप्रणाली में उपयोगी है किन्तु परियोजनाओं में प्रावधानित नहीं है, का व्यय कार्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा।
6. प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (PMU) की प्रमुख भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगी:-
   6.1. परियोजना के संचालन के दिशा निर्देश तैयार कर State Project e-Mission Team (SPeMT) से स्वीकृत कराये जायेगे।

6.2. प्रबंधन इकाई (MU), Subject Matter Expert unit (SMEU), Establishment Committee (EC), Technical Committee (TC), SSDU एवं Change Control & Approval Board (CCAB) के विस्तृत कार्यकारी निर्देश जारी करेगा । किन्तु EC, TC एवं CCAB के कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए SPeMT का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

6.3. परियोजना के दायरे, लागत और समय के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये संसाधन, Configuration, तथा Change Management के साथ साथ बिजनेस डैशबोर्ड का भी समन्वय एवं समीक्षा करेगा ।

6.4. परियोजना में किये जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता अनुसार विभिन्न इकाईयों एवं समितियों के सभी घटकों के कार्यों को एकीकृत और एकजुट होकर कार्य करावेगा तथा समन्वय में आ रही बाधाओं को दूर करते हुये निराकरण उपलब्ध कराएगा ।

6.5. परियोजना में लगने वाले कार्यों हेतु मानव, तकनीकी, भौतिक एवं वित्तिय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। Technical Architecture अनुसार जरूरी Hardware, Software की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में Deployment कराना।

6.6. अनुसूची-1 के लिए जरूरी Documents/ Processes/ Templates/ Standards & Guidelines को संबंधित ईकाइयों से तैयार कराकर Standards & Guidelines जारी करेगा ।

6.7. E2E के समस्त गतिविधियों की knowledge repository के रूप में कार्य करते हुये Process Library का संरक्षक होगा। जिसके संधारण तथा भविष्य में उपयोग हेतु दिशा निर्देशिका जारी करेगा।

6.8. MU, SMEU, EC, TC, SSDU एवं CCAB के कार्यों की न्यूनतम पाक्षिक समीक्षा कर एजेंडा सेटिंग एवं Time lines Crystallised करेगा ।

6.9. Apex Committee एवं SPeMT के निर्देशों का पालन करते हुये परियोजना गतिविधियों के लिए विभागीय अधिकारियों एवं शीर्ष प्रबंधन को सहायता करेगा ।

6.10. परियोजना अनुबंध / सेवा प्रदाता के अनुबंधों का प्रबंधन करना एवं सुनिश्चित करना कि deliverables सेवा प्रदाताओं के साथ किए गए अनुबंधों के अनुसार दिए जा रहे हैं ।

6.11. परियोजना के क्रियान्वयन की कठिनाईयों को दूर करने की शक्तियां, तात्कालिकता और अनिवार्यता के मामले में आयुक्त, खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय की सहमति से सभी निर्णय PMU द्वारा लिये जा सकेंगे।

6.12. विशिष्ट विषयों की बाधाओं को दूर करने हेतु विभिन्न समितियों को प्रत्यायोजित शक्तियां PMU मे निहित होगी।

6.13. शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अन्य कार्य ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मदनकुमार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पृ. क्रमांक एफ-3-18(5-2)/2018/29-2(1) **भोपाल, दिनांक: 19 जुलाई, 2018**

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल।

2. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश एजेंसी प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भोपाल।
7. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), भोपाल।
8. महानिदेशक, म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल।
9. नियंत्रक, नाप-तौल, मध्यप्रदेश, भोपाल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अनुसूची- एक

"End to End Computerization of TPDS Operations" की Plan Scheme में संपूर्ण Supply Chain का समन्वय करना

1. विभाग के चार मुख्य Software application तथा उपयोग में आने वाले प्रारंभिक रूप से प्रस्तावित माड्यूल जिनका अपडेशन एंवं समन्वय किया जाना है, निम्नानुसार है :-

SN	System Name	Module Name	Major component in Module
1	e-Uparjan	Account & Payments	Online payments to PACS
			Payments from PACS to Farmers
			Payments from PACS to Vendors
			Accounting and Audits of PACS
		Transportation	Transportation PACS to Godown
			Billing of Transporters
			Payments to Transporters through just in time Mechanism at District Level through single state account
		Farmer Registration	Farmer registration
			Verification through Girdawari Apps
			SMS integration + pushing
			Procurement Registration / Updation
		Interface with WMS	Storage retrieval online through WMS
			Coordination with WMS
			Mapping of priority on e-Uparjan
2	CSMS	Transportation	from e-Uparjan
			PDS movement
			DPY
			Others
		Milling	Overall activity in milling
		FCI	FCI Surrenders
			FCI Billing
			FCI Payments
		GOI /GoMP for all modules	GoMP interfaces
			GoI Billing
			GoI Payments
		Gunny Bags	Overall activity in Gunny Bag cycle
		Admin/Accounts	all Activities
		Markfed /WLC	all Activities
		Others (Inspections / Quality etc)	Any Activities
3	WMS	Storage	all Activities
		Operation	all Activities
		Accounts	all Activities
		Others	all Activities

SN	System Name	Module Name	Major component in Module
4	FPS Automation	Eligibility Entitlements	all Activities
		Allocation	all Activities
		PDS /FPS Shop-POS	all Activities
		Inspection /Vigilance committee / Social Audit / DGRO / Food Commission	all Activities
		W&M	all Activities
		Web services	all Activities

2. सम्पूर्ण परियोजना के क्रियान्वयन के लिए PMU द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

2.1. PMU के द्वारा विषयवस्तु इकाई (SME Unit) को प्रत्येक माड्यूल की FRS विकसित करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत एवं समय सीमा देगा।

2.2. SME Unit किये जाने वाले Automation कार्य को System-Business analyst तथा विभागीय विषयवस्तु विशेषज्ञ को Functional Requirement Specification (FRS) के रूप में विकसित करने के लिए Process, Templates एवं समय सीमा देगा ।

2.3. System-Business analyst एवं विषयवस्तु विशेषज्ञों द्वारा विभागों से परामर्श कर FRS मय Business Process Re-Engineering (BPR) डॉक्यूमेंट तैयार कर SME Unit को निर्धारित समय सीमा में सहमति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करेगा ।

2.4. SME Unit द्वारा FRS की सहमति के उपरांत इसे तकनीकी समिति (TC) को प्रेषित किया जायेगा ।

2.5. TC द्वारा सम्पूर्ण तकनीकी आवश्यकताओं एवं प्रत्येक माड्यूल घटक को देखेते हुये Technical Architecture अनुसार जरूरी Hardware, Software का परामर्श दिया जायेगा ।

2.6. TC द्वारा FRS में आवश्यक तकनीकी सुझाव सम्मिलित किये जायेगे तथा इसे CCAB को प्रस्तुत किया जायेगा।

2.7. CCAB के द्वारा प्रत्येक FRS का परीक्षण कर उसकी प्राथमिकताएं तय कर समस्त अनुमोदन कर SSDU को क्रियान्वयन (Development) के लिए भेज दिया जायेगा ।

2.8. SSDU के द्वारा Development करनें के पश्चात, User Acceptance Test (UAT) SMEU के माध्यम से कर PMU को सूचित किया जायेगा। PMU द्वारा उपरोक्त UAT रिपोर्ट का परीक्षण कर Rollout / सुधार करने हेतु SSDU को समय सीमा देते हुये CCAB को सूचित कर वापिस भेजा जायेगा।

2.9. SSDU द्वारा Roll-out के लिए Production में Patch/Update/Upgrade करते हुये Successful होने पर 'Go-Live' किया जायेगा एवं Unsuccessful होने पर Roll Back किया जायेगा ।

2.10. 'Go-Live' किये जाने पर समस्त Configurable Item यथा- documents, code, UAT reports को प्रोसेस Library में संधारित किया जायेगा ।